

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

नियम 36 : इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के लिए दस्तावेजी अपेक्षाएं और शर्तें

- (1) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया, जाएगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित किसी दस्तावेज के आधार पर इनपुट सेवा वितरक भी है, अर्थात् :-
- (क) धारा 31 के उपबंधों के अनुसार माल या सेवा या दोनों के प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया बीजक;
- (ख) कर के संदाय के अधधीन धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया बीजक;
- (ग) धारा 34 के उपबंधों के अनुसार किसी प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया नामे नोट;
- (घ) प्रवेश पत्र या आयातों पर एकीकृत कर के निर्धारण के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अन्य वैसा ही दस्तावेज;
- (ङ) इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक जमा पत्र अथवा नियम 54 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी किया गया कोई दस्तावेज।
- (2) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा, यदि उक्त दस्तावेज में अध्याय 6 में यथाविनिर्दिष्ट लागू सभी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं ¹[....]।
- ²**परन्तु** यदि उक्त दस्तावेज में सभी विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं हैं, किन्तु प्रभारित कर की रकम के ब्यौरे, माल या सेवाओं का विवरण, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का कुल मूल्य, प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्यांक और अंतर्राज्यिक प्रदाय की दशा में प्रदाय का स्थान अंतर्विष्ट है तो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया जा सकेगा।]
- (3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कर की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जाएगा, जिसका संदाय किसी आदेश के अनुसरण में किया गया है, जहां ऐसी मांग की पुष्टि ³[धारा 74 के अधीन] किसी कपट, जानबुझकर किए गए गलत कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण की गई है।

¹ अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द "और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-2 में दी गई हैं।" विलोपित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2022।

² अधिसूचना क्रमांक 39/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.09.2018)।

³ अधिसूचना क्रमांक 20/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 08.10.2024)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

⁴[(4) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इन्वॉइस या डेबिट नोट्स जिसका ब्यौरा धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिया जाना जरूरी हो, से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक कि,—

(क) ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स का ब्यौरा आपूर्तिकर्ता के द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** ⁵[**प्ररूप जीएसटीआर-1**क में यथा संशोधित, यदि कोई हो] में बाह्य आपूर्ति से संबंधित विवरण में न दे दिया गया हो या ऐसे बीजक सुविधा देने का प्रयोग न किया गया हो(और

(ख) ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स ⁶[जिनके इनपुट टैक्स क्रेडिट] का ब्यौरा नियम 60 के उपनियम (7) के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर-2ख** में उक्त पंजीकृत व्यक्ति को न प्रेषित कर दिया गया हो।]

⁷[परंतु कि उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों के लिए संचयी रूप से लागू होगी और सितम्बर, 2020 की कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जायेगी।]

⁸[परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिये संचयी रूप से लागू

⁴ अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा उपनियम (4) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

^A[(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उन डेबिट नोट या बीजकों की बाबत उपभोग किए जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन ^C[प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए] ^B[प्रस्तुत] नहीं किए गए हैं, उन डेबिट नोट या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा की बाबत उपलब्ध पात्र प्रत्यय के ^D[5 प्रतिशत] से अधिक नहीं होगा जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन ^E[प्ररूप जीएसटीआ-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए] ^F[प्रस्तुत] किए गए हैं।

A पहले अधिसूचना क्रमांक 49/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (4) अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)।

B अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा "अपलोड" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

C अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

D अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा "G[10%]" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

E अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा "अपलोड" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

F अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

G अधिसूचना क्रमांक 75/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2019 द्वारा "20%" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2020)।

⁵ अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक 10.07.2024।

⁶ अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द "जिनके इनपुट टैक्स क्रेडिट" अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2022।

⁷ अधिसूचना क्रमांक 30/2020-केन्द्रीय कर दिनांक 03.04.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 03.04.2020)।

⁸ अधिसूचना क्रमांक 27/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.06.2021)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

होगी और जून 2021 या जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिये प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महिनो के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तो के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जायेगी।]

"A[परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल और मई, 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और मई, 2021 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तो के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।]

A. अधिसूचना क्रमांक 13/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.05.2021 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.05.2021)।